न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 36 / 2018

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 पुकाराम पुत्र भैराजी जाति मेघवाल निवासी सरदार समन्द		1 ग्राम पंचायत सरदार समन्द जरिये सरपंच 2 मृतक जसाराम पुत्र नवलाराम जाति लुहार के का0मु0 2.1 दाखु पुत्री जसाराम पत्नी उदाराम जाति लुहार निवासी चौपड़ा तहसील सोजत 2.2 कमली पुत्री जसाराम पत्नी रूपाराम जाति लुहार निवासी मण्डिया रोड़, पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.2

—: निर्णय :—

दिनांक 28/11/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत सरदार समन्द द्वारा मिसल संख्या 17 / 2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.10.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2381 दिनांक 20.10.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है, वहां रामदेवजी का मन्दिर बना हुआ है, जिसका पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत को अधिकारिता नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया गया है, जिसमें पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधान है, जबकि मौके पर कोई मकान आदि नहीं बना है। इसके बावजूद भी विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में न तो मिसल कायम की एवं न ही कोई मौका निरीक्षण किया गया। यदि मौका निरीक्षण किया गया होता, तो

अति. जिला कलक्टर, पाली

निश्चय ही मौके पर मन्दिर होने के कारण उक्त आज्ञा एवं पट्टा जारी ही नहीं होता। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 2 की पुश्तैनी कब्जा सुदा भूमि है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना मकान निर्मित है, जिसमें वे रहवास करते थे, उनके पश्चात उनकी पुत्रियां होने के नाते अप्रार्थी संख्या 2.1 व 2.2 निवास करती है। पट्टे में वर्णित परिसर मन्दिर की भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण के मकान के पूर्व की तरफ बाबा रामदेवजी का मन्दिर अवश्य है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उसका गत 100 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 2 के पूर्वज उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त भूमि पर मकान निर्मित है तथा विद्युत सम्बन्ध में ले रखा है, जिसके बिल अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए है। अप्रार्थी संख्या 2 के कोई पुत्र सन्तान नहीं है, मात्र दो पुत्रियां ही है तथा जो मकान मौके पर बना हुआ था, वह कच्चा था, जो बारिश में ढह गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस भूमि को प्रार्थी द्वारा रामदेवजी के मन्दिर की भूमि बताया है, वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को अपनी पुश्तैनी होना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जैर निगरानी मिसल ही पंचायत के समक्ष उपलब्ध नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाती है। अतः प्रकरण पुनः जांच कर विधिवत सुनवाई हेतु पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सरदार समन्द द्वारा मिसल संख्या 17/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.10.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2381 दिनांक 20.10.2004 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत सरदार समन्द को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। चूंकि प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा एवं इससे सम्बन्धित मिसल पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना भी राजकीय दस्तावेजात् को गायब करने की श्रेणी में परिलक्षित होता है। इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त दस्तावेज के गायब होने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी के

अति० जिला कलेक्टर, पाली

विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत [redacted] एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली